

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] [नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 1973/पोष 19, 1894

No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 1973/PAUSA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi the 9th January 1973

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with Rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules.

2. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale under the State Governments" against "Andhra Pradesh", for the entries:—

"First Member Board of Revenue Rs. 2750/-"

the following entries shall be substituted, namely:—

"First Member Board of Revenue Rs. 3000/-".

[No. 33/1/71-AIS(II).]

SHPAVAN KUMAR, Jt. Secy.

संश्लेषण सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973

सा० का० नि० 7 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश, सरकार के परामर्श से, उल्लिखित नियमों के साथ संलग्न अनुसूची III में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची III में “क-राज्य सरकारों के अधीन समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद” शीर्षक के अधीन “आंध्र प्रदेश” के सामने—

“प्रथम सदस्य, राजस्व बोर्ड रु० 2750/—” प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“प्रथम सदस्य राजस्व बोर्ड रु० 3000/—”

[सं० 33/1/71-अ० भा० से० (II)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।